Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अनुसूचित जनजाति का आर्थिक शोषण के संरक्षणात्मक उपाय एवं उसका प्रभाव (म.प्र. के धार जिले के विशेष संदर्भ में)

अरूणा गेहलोत* डॉ. पी. सी. बंसल**

*** शोधार्थी (अर्थशास्त्र) डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अंबेडकर नगर, महू, जिला- इंदौर (म.प्र.) भारत**
**** विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अंबेडकर नगर, महू, जिला- इंदौर (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य कमजोर वर्गों का शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि के उत्थान करने एवं उनकी सामाजिक असमर्थताओं को दूर करने के उद्देश्य से उन्हें सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। जैसे कि – अनुच्छेद 15, 16. 17, 19, 23, 29, 46, 330, 332 एवं 335 आदि संविधान में अनुच्छेद बनाकर आर्थिक शोषण के विरूद्ध निपटने के लिये उपाय किये गये है।
शब्द कुंजी – अनुसूचित जनजाति का आर्थिक शोषण एवं उनके संरक्षणात्मक उपाय।

प्रस्तावना – अनुसूचित जनजाति को भारत के संविधान की धारा 366(25) उन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने का प्रावधान करती है, जो अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित है।

अनुच्छेद 342 के अनुसार –राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें से यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा। भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों का भाग 8.2 प्रतिशत है। इनमें से 58 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 – इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति को ऋणों से छुटकारा पाने हेतु किये गये कानूनी प्रावधान बनायें गये, जो इस प्रकार से है–

1. मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति (संशोधन) विनिमय 1963
2. मध्यप्रदेश महाजन अधिनियम
3. मध्यप्रदेश कुसीदात्मक (यूज्यूरियस) ऋण अधिनियम 1938
4. मध्यप्रदेश देनदार सुरक्षा अधिनियम
5. मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण सहायता अध्यादेश 1966
6. मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनिमय 1972

अध्ययन क्षेत्र –मध्यप्रदेश का धार जिला है जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति दोनों ही वर्गो के लोग निवास करते है लेकिन धार जिला जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। अध्ययन क्षेत्र में धार जिले के 13 विकासखण्डों में से 5 विकासखण्ड धरमपुरी, मनावर, उमरबन, नालछा एवं धार को सम्मिलित किया गया है, जो कि अनुसूचित जनजातिय बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित है।

अध्ययन का समग्र –मध्यप्रदेश का धार जिलें में चयनित विकासखण्ड के अनुसूचित जनजाति परिवार अध्ययन का समग्र है।

अध्ययन की इकाई –मध्यप्रदेश के धार जिले की चयनित 5 विकासखण्डों से 300 परिवार अध्ययन की इकाई है।

निदर्शन विधि –शोध अध्ययन हेतु सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। शोध अध्ययन अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र धार जिले के 13 विकासखण्डों में से 5 विकासखण्डों का चयन किया गया है। जिसमें प्रत्येक विकासखण्ड से 60 परिवारों के सदस्य संख्या एवं प्रत्येक विकासखण्ड से 6–6गांव तथा प्रत्येक गांव से 10–10 परिवारों को चुना गया है।

निदर्शन का आकार –धार जिले के 300 परिवार को निदर्शन के आकार के रूप में चुना गया है।

समंक संकलन के स्त्रोत – दो प्रकार से किया गया है।

1. **प्राथमिक स्त्रोत** –प्राथमिक आंकडे शोधकर्त्ता के द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूचित जनजाति के लोगों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके जानकारी प्राथमिक स्त्रोतों जैसे – अवलोकन, समूहचर्चा, साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राप्त किये गये।
2. **द्वितीयक स्त्रोत** –द्वितीयक स्त्रोत यह प्रकाशित एवं अप्रकाशित होते हैं तथा यह किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त किये जा सकते है। जैसे कि – समाचार पत्र, पुस्तक, शोध पत्रिकायें, शासकीय दस्तावेज एवं अभिलेख द्वारा द्वितीयक समंको को एकत्रित किया गया है।

यंत्र एवं तकनीकी –अध्ययन से संबंधित आंकडों का संकलन करने के लिये मोबाइल फोन, ओडियो–वीडियों रिकार्डिंग, कैमरा एवं कम्प्यूटर का उपयोग किया गया है।

समंको का विश्लेषण –समस्त एकत्रित आंकडो व सूचनाओं को जो चयनित क्षेत्र से एकत्रित किये गये है उनके आधार पर SPSS के माध्यम से तथ्यों का सारणीयन वर्गीकरण एवं सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है।

शोध अध्ययन क्षेत्र धार जिला –धार जिले का क्षेत्रफल 8153 वर्ग

किलोमीटर है। धार जिला परमार वंश की राजधानी थी। यह सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है।

2011 की जनगणना के अनुसार धार जिले की जनसंख्या 21,85,793 व्यक्ति है, जिसमें 11,12,725 पुरूष एवं 10,73,068 महिलायें है। अर्थात जिले का लिंगानुपात 1000 पुरूषों पर 964 महिलायें है। जिले की साक्षरता दर 60.57 प्रतिशत है जिसमें 18.90 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। जिले का जनसंख्या घनत्व 270 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले में अनुसूचित जाति 6.65 प्रतिशत एवं 55.94 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग रहते है, इस कारण यह अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है।

धार जिले का सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकडे प्राप्त हुये जो इस प्रकार से है–

सारिणी क्रं. 1: उत्तरदाता को आर्थिक शोषण के संरक्षात्मक उपाय की जानकारी के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता को आर्थिक शोषण के संरक्षणात्मक उपाय की जानकारी	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां,संरक्षणात्मक उपाय की जानकारी है	190	63.3प्रतिशत
नहीं, संरक्षणात्मक उपाय की जानकारी है	110	36.7 प्रतिशत
योग	300	100.0 प्रतिशत

आरेख क्रं.– 1

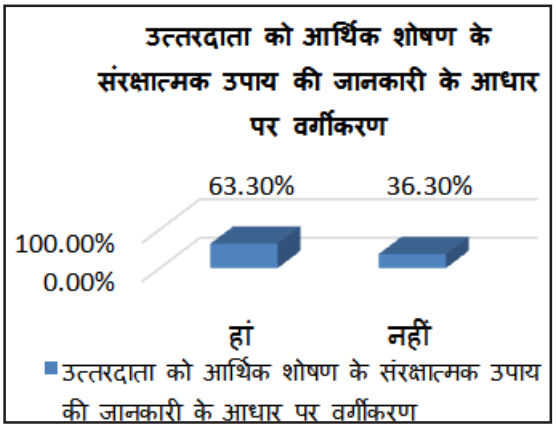

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से अनु. जनजाति पर होने वाले आर्थिक शोषण के कारण जानने के आधार पर वर्गीकरण 300 उत्तरदाताओं में से 190 उत्तरदाताओं का कहना है कि वे आर्थिक शोषण के संरक्षणात्मक उपाय के बारे में जानते है जिसका 63.3 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है जबकि 110 उत्तरदाताओं का कहना है कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसका 36.7 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। अत: धार जिले के अधिकांश उत्तरदाता आर्थिक शोषण के संरक्षात्मक उपाय के बारे में जानते है।

सारिणी क्रं. 2: उत्तरदाता को शासकीय रोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी होने के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता को रोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	178	59.3 प्रतिशत
नहीं	122	40.7 प्रतिशत
योग	300	100.0 प्रतिशत

आरेख क्रं.– 2

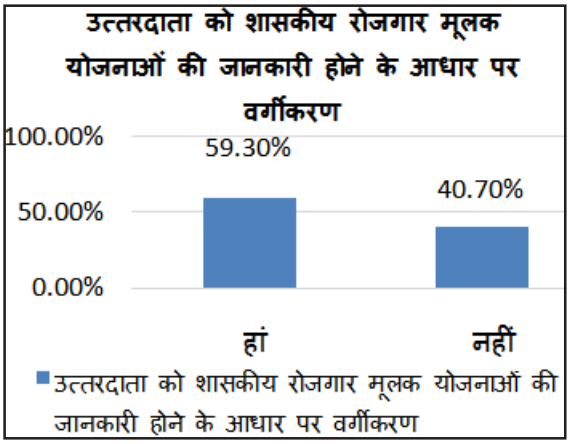

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता को शासकीय रोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी होने के आधार पर वर्गीकरण करने पर ज्ञात हुआ कि 300 उत्तरदाताओं में से 178 उत्तरदाता ने यह स्वीकार किया कि वे रोजगार मूलक योजनाओं के बारे में जानकारी रखते है जिसका 59.3 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है जबकि 122 उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें रोजगार मिलक योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसका 40.7 प्रतिशत है, जो कि सबसे कम है। अत: इससे स्पष्ट है कि जिले के अधिकांश उत्तरदाताओं को रोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी है।

सारिणी क्रं. 3: उत्तरदाता के सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलने से सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां, सामाजिक योजनाओं से परिवर्तन आया	117	39.0 प्रतिशत
नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया है।	56	18.7 प्रतिशत
हां, थोडा बहुत हुआ है	92	30.7 प्रतिशत
पहले से बेहतर हुआ है	35	11.6 प्रतिशत
योग	300	100.0 प्रतिशत

आरेख क्रं.– 3

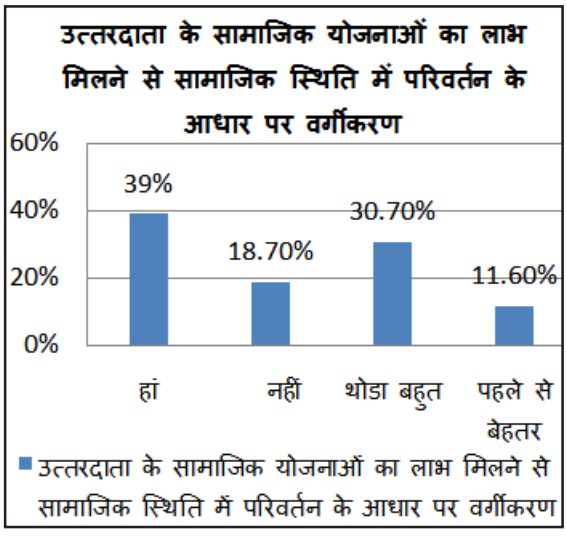

उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता के सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलने से सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण करने पर 300 उत्तरदाताओं में से 117 उत्तरदाताओं का कहना है कि सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलने से उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है जिसका 39.0 प्रतिशत है, जो कि सबसे अधिक है जबकि 56 उत्तरदाताओं ने इस बात को अस्वीकार किया कि सामाजिक योजनाओं का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला और न ही उनकी सामाजिक स्थिति में कोई सुधार हुआ है, जिसका 18.70 प्रतिशत है। उसी प्रकार 92 उत्तरदाताओं का कहना है कि सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलने से उनकी सामाजिक स्थिति में थोडा बहुत सुधार हुआ है जिसका 30.7 प्रतिशत है जबकि 35 उत्तरदाताओं ने कहा कि सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलने से उनकी सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है जिसका 11.3 प्रतिशत है। अत: इससे स्पष्ट है कि धार जिले के अधिकांश उत्तरदाता सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलने से लाभांवित हुये है जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है।

निष्कर्ष :

1. धार जिले के 63.3 प्रतिशत उत्तरदाता आर्थिक शोषण के संरक्षात्मक उपाय के बारे में जानते है जबकि 46.7 प्रतिशत उत्तरदाता आर्थिक शोषण के संरक्षणात्मक उपाय के बारे में कुछ नहीं जानते है।
2. धार जिले के 59.9 उत्तरदाताओं को रोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी है जबकि 40.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इन रोजगार मूलक योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि धार जिले के अधिकांश उत्तरदाताओं को रोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी है।
3. धार जिले के 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलने से उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है जबकि 18.70 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक योजनाओं से उनके सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उसी प्रकार 30.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक योजनाओं से उनके सामाजिक स्थिति में थोडा बहुत सुधार हुआ है जबकि 11.30 प्रतिशत उततरदाताओं के अनुसार इन सरकारी योजनाओं से उनके सामाजिक जीवन में पहले से बेहतर सामाजिक परिवर्तन आया है। अत: इससे स्पष्ट है कि धार जिले के अधिकांश उत्तरदाता इन सरकारी योजनाओं से लाभांवित हुये है जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है।

सुझाव :

1. जनजातियों का विकास सुनिश्चित करने के लिये उनके आर्थिक शोषण को समाप्त करने की आवश्यकता है।
2. यह तभी संभव हो सकता है, जब जनजातियों की नीति निर्धारण प्रक्रिया एवं कार्यक्रमों के कार्यांवयन में सहभागिता सुनिश्चित की जायें।
3. संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों, पांचवी अनुसूची क्षेत्रों तथा अन्य जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में जो जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत या इसके बाहर भी विस्तार करने की आवश्यकता है।
4. प्रस्तावित छठी अनुसूची क्षेत्रों के लिये अलग से धनराशि का प्रबंध करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. भारती एवं डॉ. पाण्डेय (1994),**'भारतीय अर्थव्यवस्था (स्वतंत्रता पश्चात)',** मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
2. डॉ. माथुर, बी.एल. (2009),**'ग्रामीण अर्थव्यवस्था',** अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली।
3. पुणेकर (2021),**'अनु.जाति एवं अनु.जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम',** पुणेकर पब्लिकेशन्स इंदौर, पृ. 114
4. हसनैन नदीम (1996),**'जनजातीय भारत',** जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली, पांचवा संस्करण, पृ.553

****